न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
03/17	मुतफर्रिक	19.01.2017	04.01.2018

राजूसिह उर्फ राजकुमार दत्तक पुत्र प्रहलादसिह जाति राजपूत निवासी सिमिर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली(राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी वकील प्रार्थी

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिमिर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित खसरा नं0 81 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 84 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 92 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 93 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 97 रकबा 03 बिस्वा, ख्खसरा नं0 577 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, ख्सरा नं0 713/605 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी के दत्तक पिता प्रहलादसिह पुत्र समंदरसिह के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के दत्तक पिता प्रहलादसिह के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम सहवन से राजूसिह दत्तक पुत्र प्रहलादसिह से खोल दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही गलत एवं प्रभावहीन है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजकुमारसिह है। प्रार्थी के पिता द्वारा छोडी गई चल अचल सम्पत्ति का प्रार्थी ही एक मात्र वारिश है अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता नही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, सेना के डिस्चार्ज टिकिट, पहवान पत्र मे प्रार्थी का सही नाम राजकुमारसिह ही दर्ज है। प्रार्थी के आवास का विधुत बिल भी राजकुमारसिह के नाम से जारी है। गांव मे भी आम लोग राजकुमारसिह के नाम से ही जानते है। कभी कभी बुजूर्ग व्यक्ति प्रार्थी को राजूसिह के नाम से पुकारते है इसलिए उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण प्रार्थी के दत्तक पिता की मृत्यु के पश्चात् खोलते समय प्रार्थी का बोलता नाम राजूसिह दर्ज कर दिया गया जबकि मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी का सही नाम राजकुमारसिह है। इसलिए उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का आया गलत नाम राजूसिह के स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजकुमारसिह दुरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात के खातेदार का नाम मुताबिक वैध दस्तावेज दुरस्त किया जाता है तो इसमे कोई राजस्व हित प्रभावित नही होता है। साक्ष्य मे प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र, भंवरसिह एवं भोरयालाल के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, नकल जगावंदी सम्वत् 2034–37, नकल तहरीर गोद पत्र की फोटोप्रति, विधुत कनेक्शन बिल की फोटोप्रति, फोटोप्रति आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति, सेना से सेवा मुक्ति पुस्तिका की फोटोप्रति, सेना का पहचान पत्र की फोटोप्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत कालागुडा का प्रमाण पत्र पेश किये है।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति, आधारकार्ड की फोटोप्रति, विधुत कनेक्शन बिल, तहरीर गोद पत्र की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, सेना से सेवा मुक्ति पुस्तिका की फोटोप्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत कालागुडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजकुमारसिह अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से राजूसिह गलत दर्ज हो गया हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी अपना सही नाम राजकुमारसिह दर्ज करवाने का हकदार है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 84 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 92 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 93 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 97 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 577 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 713/605 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सिमिर तहसील सपोटरा मे प्रार्थी का दर्ज गलत नाम राजूसिह के स्थान पर वास्तविक नाम राजकुमारसिह दत्तक पुत्र प्रहलादसिह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सपोटरा
जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner